भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-932

उत्तर देने की तारीख: **10 फरवरी, 2025**

विद्यालयों में अपर्याप्त शौचालय सुविधाएं और जलापूर्ति की कमी

†932. श्री ईश्वरस्वामी के.:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्यालयों में शौचालय सुविधाओं के अभाव और अपर्याप्त जल के कारण छात्राओं को शिक्षा छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) के अंतर्गत विद्यालयों में शौचालयों के निर्माण के लिए तमिलनाडु सहित राज्यवार और वर्षवार कितनी-कितनी धनराशि आबंटित और संवितरित की गई;
(ग) सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शेष विद्यालयों में शौचालयों के निर्माण की राज्यवार वर्तमान स्थिति क्या है; और
(घ) क्या सरकार की शौचालयों के निर्माण और रखरखाब में गैर-सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निगमित कंपनियों को शामिल करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के क्षेत्राधिकार में आते हैं। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारें उपयुक्त सरकारें हैं और शौचालयों के निर्माण और रखरखाव सहित स्कूलों में अवसंरचना उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी उन्हीं की है।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग समग्र शिक्षा योजना कार्यान्वित कर रहा है जिसके तहत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में छात्रों के लिए शौचालयों के निर्माण, स्वच्छता सुविधाएं और पेयजल सुविधाएं सहित बुनियादी सुविधाओं के निर्माण में सहायता की जाती है। इस संबंध में, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं और प्रत्येक वर्ष के आरंभ में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपी

एंड बी) तैयार किया जाता है। इसके बाद पीएबी द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से योजना के कार्यक्रम संबंधी और वित्तीय मानदंडों तथा बजटीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार इन योजनाओं का मूल्यांकन/अनुमोदन किया जाता है।

वार्षिक स्कूल अनुदान की न्यूनतम 10% राशि का उपयोग स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) से संबंधित गतिविधियों अर्थात् शौचालयों, सुरक्षित पेयजल सहित स्कूल सुविधाओं का रख-रखाव और जल, स्वच्छता और साफ-सफाई (डब्ल्यूएएसएच) अवसंरचना में सुधार, साबुन से हाथ धोने, संचालन और रखरखाव, व्यवहारगत परिवर्तन गतिविधियों और क्षमता निर्माण आदि के लिए किया जाना चाहिए। चूंकि शिक्षा भारत के संविधान की समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें, यदि उचित हो, शौचालयों के निर्माण और रखरखाव के कार्य में गैर-सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और कारपोरेट कंपनियों को शामिल कर सकती हैं।

यूडीआईएसई+ रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार, 97.17% लड़कियों और सह-शिक्षा स्कूलों में लड़कियों के लिए समर्पित शौचालय की सुविधा है, जबकि 98.33% स्कूलों में पेयजल की सुविधा है। विस्तृत जानकारी **अनुलग्नक-I** में दी गई है।

तमिलनाडु राज्य सहित समग्र शिक्षा के तहत पिछले तीन वर्षों (अर्थात वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24) के दौरान शौचालयों के निर्माण के लिए राज्यों को आवंटित धनराशि को अनुलग्नक-II में दिया गया है। अनुमोदित एडब्ल्यूपी एंड बी के आधार पर, समग्र शिक्षा के अंतर्गत केंद्रीय हिस्सा संबंधित राज्य सरकार को घटक-वार नहीं बल्कि वित्तीय मानदंडों के अनुसार किस्तों में जारी किया जाता है।

भारत में शौचालय की सुविधा वाले स्कूलों की वर्तमान स्थिति **अनुलग्नक-III** में दी गई है।

*****

अनुलग्नक-I

विद्यालयों में अपर्याप्त शौचालय की सुविधाएं और जलापूर्ति के संबंध में श्री ईश्वरस्वामी के. द्वारा पूछे गए 10 फरवरी, 2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 932 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

लड़कियों के लिए शौचालय और पेयजल की सुविधा वाले स्कूलों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

सं .	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्कूलों की संख्या (लड़कियां+सह-शिक्षा)			स्कूलों की संख्या		
		कुल	लड़कियों का शौचालय	प्रतिशत	कुल	पेय जल	प्रतिशत
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	412	412	100.00	412	412	100.00
2.	आंध्र प्रदेश	60858	60290	99.07	61373	61366	99.99
3.	अरुणाचल प्रदेश	3484	3125	89.70	3490	2912	83.44
4.	असम	56553	52225	92.35	56630	54341	95.96
5.	बिहार	94505	89145	94.33	94686	90577	95.66
6.	चंडीगढ़	229	229	100.00	230	230	100.00
7.	छत्तीसगढ़	55682	54715	98.26	56615	56083	99.06
8.	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	430	430	100.00	432	432	100.00
9.	दिल्ली	4645	4645	100.00	5497	5497	100.00
10.	गोवा	1477	1477	100.00	1487	1487	100.00
11.	गुजरात	52387	51949	99.16	53626	53602	99.96
12.	हरियाणा	23069	22918	99.35	23517	23511	99.97
13.	हिमाचल प्रदेश	17790	17724	99.63	17826	17826	100.00
14.	जम्मू और कश्मीर	24156	22056	91.31	24296	24149	99.39
15.	झारखंड	44205	43838	99.17	44475	43863	98.62
16.	कर्नाटक	75371	74772	99.21	75869	75777	99.88
17.	केरल	15809	15765	99.72	15864	15850	99.91
18.	लद्दाख	961	890	92.61	995	955	95.98
19.	लक्षद्वीप	37	37	100.00	37	37	100.00
20.	मध्य प्रदेश	122054	119792	98.15	123412	122746	99.46
21.	महाराष्ट्र	107283	104570	97.47	108237	107686	99.49
22.	मणिपुर	4640	3874	83.49	4646	4634	99.74
23.	मेघालय	14587	12007	82.31	14601	8242	56.45
24.	मिजोरम	3940	3547	90.03	3941	3597	91.27
25.	नागालैंड	2725	2435	89.36	2725	1949	71.52
26.	ओडिशा	61623	61012	99.01	61693	61685	99.99
27.	पुदुचेरी	711	709	99.72	735	735	100.00
28.	पंजाब	27223	26953	99.01	27404	27381	99.92
29.	राजस्थान	107715	102219	94.90	107757	105157	97.59
30.	सिक्किम	1169	1151	98.46	1254	1249	99.60
31.	तमिलनाडु	58045	56657	97.61	58722	58106	98.95
32.	तेलंगाना	42209	40090	94.98	42901	41800	97.43
33.	त्रिपुरा	4915	4407	89.66	4923	4603	93.50
34.	उत्तर प्रदेश	22445	21202	94.46	22551	21958	97.37
35.	उत्तराखंड	254239	249139	97.99	255087	253303	99.30
36.	पश्चिम बंगाल	92985	92836	99.84	93945	93573	99.60
भारत		**1460568**	**1419242**	**97.17**	**1471891**	**1447311**	**98.33**

स्रोत: यूडीआईएसई+2023-24

*****

अनुलग्नक-II

विद्यालयों में अपर्याप्त शौचालय की सुविधाएं और जलापूर्ति के संबंध में श्री ईश्वरस्वामी के. द्वारा पूछे गए 10 फरवरी, 2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 932 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

समग्र योजना के तहत पिछले तीन वर्षों (अर्थात 2021-22, 2022-23 और 2023-24) के दौरान शौचालयों के निर्माण के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को धनराशि के आवंटन को दर्शाने वाला विवरण

(रुपये लाख में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021-22		2022-23		2023-24	
		वास्तविक अनुमोदन	आवंटित धनराशि	वास्तविक अनुमोदन	आवंटित धनराशि	वास्तविक अनुमोदन	आवंटित धनराशि
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2	आंध्र प्रदेश	923	2769.00	489	1835.40	0	0.00
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0.00	155	333.00	120	120.00
4	असम	1609	4257.55	1649	4933.20	879	2646.54
5	बिहार	353	444.78	18790	40320.82	1171	2529.36
6	चंडीगढ़	0	0.00	0	0.00	0	0.00
7	छत्तीसगढ़	0	0.00	1103	2007.15	548	993.40
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0	0.00	0	0.00	0	0.00
9	दिल्ली	0	0.00	24	205.44	64	547.84
10	गोवा	4	2.88	2	2.17	1	1.35
11	गुजरात	553	858.05	525	1196.72	5	10.60
12	हरियाणा	37	53.32	578	1561.94	0	0.00
13	हिमाचल प्रदेश	66	43.50	735	946.50	106	133.00
14	जम्मू और कश्मीर	541	1045.55	871	1739.58	445	1031.66
15	झारखंड	858	1885.42	237	695.43	0	0.00
16	कर्नाटक	93	247.65	117	345.72	97	291.00
17	केरल	489	805.40	301	491.40	264	430.70
18	लद्दाख	38	66.15	0	0.00	231	556.90
19	लक्षद्वीप	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20	मध्य प्रदेश	0	0.00	1616	4638.18	306	1173.00
21	महाराष्ट्र	28	92.40	4136	20465.35	761	3424.50
22	मणिपुर	705	2516.74	688	3165.67	436	2048.56
23	मेघालय	814	2442.00	74	259.00	164	824.75
24	मिजोरम	319	927.50	388	1741.70	147	523.68
25	नागालैंड	43	184.90	15	71.70	33	157.74
26	ओडिशा	368	647.48	4494	12520.90	1067	4801.50
27	पुदुचेरी	0	0.00	6	13.00	0	0.00
28	पंजाब	0	0.00	381	489.89	2468	2938.95
29	राजस्थान	0	0.00	1103	3762.78	0	0.00
30	सिक्किम	12	42.00	65	114.30	162	294.30
31	तमिलनाडु	1372	3384.60	139	890.40	1144	5948.80
32	तेलंगाना	937	2489.14	1138	3615.50	0	0.00
33	त्रिपुरा	202	662.10	94	380.20	185	693.30
34	उत्तर प्रदेश	453	430.35	10600	11077.60	584	762.50
35	उत्तराखंड	139	545.73	531	1566.42	228	769.36
36	पश्चिम बंगाल	3219	6901.98	1908	4474.28	0	0.00
कुल		**14175**	**33746.17**	**52952**	**125861.34**	**11616**	**33653.29**

स्रोत: पीएबी मिनट्स और प्रबंध पोर्टल

*****

अनुलग्नक-III

विद्यालयों में अपर्याप्त शौचालय की सुविधाएं और जलापूर्ति के संबंध में श्री ईश्वरस्वामी के. द्वारा पूछे गए 10 फरवरी, 2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 932 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

शौचालय सुविधा वाले विद्यालयों की वर्तमान स्थिति दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्कूलों की संख्या		
		कुल	शौचालय सुविधा	प्रतिशत (%)
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	412	412	100.00
2.	आंध्र प्रदेश	61373	61086	99.53
3.	अरुणाचल प्रदेश	3490	3335	95.56
4.	असम	56630	53335	94.18
5.	बिहार	94686	91234	96.35
6.	चंडीगढ़	230	230	100.00
7.	छत्तीसगढ़	56615	56071	99.04
8.	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	432	432	100.00
9.	दिल्ली	5497	5497	100.00
10.	गोवा	1487	1487	100.00
11.	गुजरात	53626	53421	99.62
12.	हरियाणा	23517	23501	99.93
13.	हिमाचल प्रदेश	17826	17806	99.89
14.	जम्मू और कश्मीर	24296	23589	97.09
15.	झारखंड	44475	44213	99.41
16.	कर्नाटक	75869	75752	99.85
17.	केरल	15864	15858	99.96
18.	लद्दाख	995	978	98.29
19.	लक्षद्वीप	37	37	100.00
20.	मध्य प्रदेश	123412	122406	99.18
21.	महाराष्ट्र	108237	106829	98.70
22.	मणिपुर	4646	4267	91.84
23.	मेघालय	14601	12972	88.84
24.	मिजोरम	3941	3726	94.54
25.	नागालैंड	2725	2531	92.88
26.	ओडिशा	61693	61486	99.66
27.	पुदुचेरी	735	735	100.00
28.	पंजाब	27404	27355	99.82
29.	राजस्थान	107757	104361	96.85
30.	सिक्किम	1254	1252	99.84
31.	तमिलनाडु	58722	58106	98.95
32.	तेलंगाना	42901	41538	96.82
33.	त्रिपुरा	4923	4778	97.05
34.	उत्तराखंड	22551	22227	98.56
35.	उत्तर प्रदेश	255087	254092	99.61
36.	पश्चिम बंगाल	93945	93858	99.91
	भारत	**1471891**	**1450793**	**98.57**

स्रोत: यूडीआईएसई+2023-24

*****